न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 45/2013

अपीलांट

1. सेसीया पुत्र बचना
2. बंशीया पुत्र बचना
3. रामेश्वर पुत्र बचना
4. घेवर पुत्र बचना
5. मदन पुत्र बचना
6. ढगलाई बेवा बचना जातिगण बावरी, निवासीगण कुमारिया बेरा, बिलावास, पोस्ट बिलावास तहसील सोजत, जिला पाली
7. नर्बदा पुत्री बचना पत्नी लक्ष्मण कौम बावरी निवासी बेरा सरवार सागर सोजत तहसील सोजत जिला पाली

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. सुन्दरीया पुत्र सुरजमल के वारिसान
   1/1 मगली बेवा सुन्दरीया फौत
   1/2 रतन
   1/3 कालू
   1/4 राजू पुत्रगण सुन्दरिया
   1/5 प्यारी पुत्री सुन्दरिया पत्नी रामेश्वर
   1/6 संतोष पुत्री सुन्दरिया पत्नी देवाराम
   1/7 जमनाई पुत्री सुन्दरिया पत्नी मदनलाल निवासीगण बेरा केन्तरिया तहसील सोजत जिला पाली
   1/8 लीला पुत्री सुन्दरिया पत्नी बुधाराम जाति बावरी निवासी सिनला तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली
   1/9 पपीया पुत्री सुन्दरिया पत्नी भैराराम जाति बावरी
   1/10 दुर्गा पुत्री सुन्दरिया
   1/11 सुगना पुत्री सुन्दरिया जातिगण बावरी निवासीगण सोजत तहसील जिला पाली
2. बादरीया पुत्र सुरजमल
3. श्यामा पुत्र चम्पालाल
4. गैरकी बेवा चम्पालाल कौम बावरी निवासीगण सोजत तहसील सोजत जिला पाली
5. केलम पुत्री चम्पालाल पत्नी पुखाराम कौम बावरी निवासी बासना तहसल सोजत जिला पाली
6. गैंदा पुत्री चम्पालाल पत्नी राजू निवासी बासनी जोधरा बेरा कुमारिया तहसील सोजत जिला पाली
7. धापू पत्नी नेमा जाति बावरी निवासी सोजत तहसील सोजत के वारिसान
   7/1 शांति पुत्री नेना जाति बावरी निवासी बासना तहसील सोजत जिला पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

7/2 गीता पुत्री नेना जाति बावरी निवासी चण्डाव तहसील सोजत जिला पाली

8. तहसीलदार सोजत, जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 05 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

–: निर्णय :–

दिनांक :

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 15/2001 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 88 व 53 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी मौजा सोजत के चक नंबर 1 के खसरा नंबर 249 रकबा 0.25 हैक्टेर, खसरा नंबर 250 रकबा 0.66 हैक्टेर, खसरा नंबर 251 रकबा 0.71 हैक्टेर, खसरा नंबर 252 रकबा 0.22 हैक्टेर, खसरा नंबर 253 रकबा 0.15 हैक्टेर, खसरा नंबर 254 रकबा 0.03 हैक्टेर, खसरा नंबर 343 रकबा 5.60 हैक्टेर, खसरा नंबर 361 रकबा 0.87 हैक्टेर, खसरा नंबर 362 रकबा 2.93 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर बंटवाडा कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा प्रस्तुत वाद में दिनांक 08.03.2000 को तनकीयात कायम की गई। तत्पश्चात वादी की शहादत ली गई। प्रतिवादी को पेशी दिनांक 10.05.2000 को बना साक्ष्य का अवसर दिये पत्रावली बहस हेतु नियत की गई तथा दिनांक 29.06.2000 को वादी का वाद खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसे स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली रिमांड की गई। उक्त वाद की पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 01.02.2001 को प्राप्त होने पर पक्षकारान को न्यायालय में उपस्थित होने का नोटिस जारी कर दिनांक 28.02.2001 की पेशी मुकर्रर की गई। उसके पश्चात दिनांक 09.05.2001 को प्रतिवादी अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.06.2001 को पारित की गई। जिसके

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

विरूद्ध अपीलांट ने माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। तत्पश्चात प्राथमिक डिक्री की पालना में रेवेन्यु बोर्ड के रूल्स 18 से 21 की कोई पालना नहीं की तथा न बंटवाडे की पालना हेतु अपीलांट प्रतिवादी को मौके पर तलब किया गया। अपीलांट द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के पूर्व निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व मंडल अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की गई। उक्त निगरानी के विचाराधीन रहते दिनांक 15.06.2001 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई। जिसके कारण माननीय राजस्व मंडल द्वारा अपील को सारहीन मानी जाकर अधीनस्थ न्यायालय को दिनांक 05.10.2012 को पुन प्रेषित की गई। तत्पश्चात दिनांक 26.06.2013 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुन पत्रावली रेकर्ड पर ली गई तथा रेकर्ड पर ली जाकर पक्षकारो को तलब नहीं किया गया न ही तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये तथा न ही बंटवाडे के प्रस्ताव पर आपत्तिया प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद में पक्षकारो को सुनवाई का अवसर दिये बिना जैर अपील अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.06.2001 के अन्तर्गत अपीलांट प्रतिवादी को रेवेन्यू बोर्ड रूल्स नियम 18 से 21 की कोई पालना नहीं की गई न ही अपीलांट पक्षकार को बंटवाडे के प्रस्ताव हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण की तामिल के संबध में दिनांक 07.07.1999 को व दिनांक 09.05.2001 को आदेशिका पर यह गलत उल्लेख किया कि प्रतिवादीगण की तामिल हो जाने के बावजूद उपस्थित नहीं हुए, जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण को कोई नोटिस तामिल नही हुआ। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक पक्षकारो के विरूद्ध जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। प्रकरण में वादी सुन्दरिया दिनांक 26.06.2013 को पांच वर्ष पूर्व ही फौत हो चुका था तथा प्रतिवादी विघा 14 वर्ष पूर्व एवं धापु की 2 माह पूर्व उक्त मृत्यु हो जाने के बावजूद इनके वारिसान को रेकर्ड पर लिये बिना मृतक व्यक्तियो के पक्ष में जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना पक्षकारो को सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाते हुए पत्रावली रिमांड फ़रमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी मौजा सोजत के चक नंबर 1 के खसरा नंबर 249 रकबा 0.25 हैक्टेर, खसरा नंबर 250 रकबा 0.66 हैक्टेर, खसरा नंबर 251 रकबा 0.71 हैक्टेर, खसरा नंबर 252 रकबा 0.22 हैक्टेर, खसरा नंबर 253 रकबा 0.15 हैक्टेर, खसरा नंबर 254 रकबा 0.03 हैक्टेर, खसरा नंबर 343 रकबा 5.60 हैक्टेर, खसरा नंबर 361 रकबा 0.87 हैक्टेर, खसरा नंबर 362 रकबा 2.93 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर बंटवाडा कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर राजस्व मंडल के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पूर्णतया विधिसम्मत है। वकील अपीलांट ने उक्त निर्णय व डिक्री को अपास्त करने का यथोचित कारण हाजा न्यायालय के समक्ष दर्षित नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यो को ध्यान मे रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अत अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 88 व 53 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी मौजा सोजत के चक नंबर 1 के खसरा नंबर 249 रकबा 0.25 हैक्टेर, खसरा नंबर 250 रकबा 0.66 हैक्टेर, खसरा नंबर 251 रकबा 0.71 हैक्टेर, खसरा नंबर 252 रकबा 0.22 हैक्टेर, खसरा नंबर 253 रकबा 0.15 हैक्टेर, खसरा नंबर 254 रकबा 0.03 हैक्टेर, खसरा नंबर 343 रकबा 5.60 हैक्टेर, खसरा नंबर 361 रकबा 0.87 हैक्टेर, खसरा नंबर 362 रकबा 2.93 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर बंटवाडा कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण के नोटिस विधिवत तामिल नहीं हुए, जिसके कारण अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं हो सका। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत बंटवाडा पर अपीलांटगण के हस्ताक्षर नहीं है। इस संबध में माननीय राजस्व मंडल द्वारा अपने विनिर्णय 2016–17 आर.आर.टी 711 गोविन्दसिंह बनाम रणजीतसिंह व अन्य में यह प्रतिपादित किया गया है कि **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 53 राजस्थान काश्तकारी (राजस्व बोर्ड) नियम, 1955–नियम 18 से 21–विभाजन हेतु वाद–विभाजन हेतु अंतिम डिक्री पारित की–अपील खारिज की–द्वितीय अपील–तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किये गये–प्रस्ताव पर दोनो पक्षकारो के हस्ताक्षर नहीं–अपीलांट की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया और नायब तहसीलदार द्वारा तैयार प्रस्ताव के आधार पर अन्तिम डिक्री पारित की–निर्णीत, आदेश अपास्त किया एस.डी.ओ. को मामला प्रतिप्रेषित किया।** इसी प्रकार 2009 (2) आर.आर.टी 775 परमानांद बनाम कुसुम देवी व अन्य में यह प्रतिपादित किया गया है कि **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 53 व 188–विभाजन हेतु वाद–वाद डिक्री किया–प्रारम्भिक व अन्तिम डिक्री पारित की–रेस्पोडेन्ट नं 1 व 02 विवादित भूमि के रेकार्डेड सह–काश्तकार है–प्रतिवादी अपीलांट साबित करने में असफल रहा कि भूमि 'एल' के नाम कभी रही–समवर्ती निष्कर्षो में अनियमितत अथवा अवैधता नहीं है–जोतो के विभाजन हेतु प्रस्ताव सहकाश्तकारो की मौजूदगी में तैयार नहीं किया–विचारण न्यायालय ने केवल वादी रेस्पोडेन्ट का हिस्सा विभाजित करने में अवैधता व अनियमितता की है–अन्तिम डिक्री अवैध है व अन्तिम डिक्री पुनः तैयार करने हेतु मामला प्रतिप्रेषित किया।** हस्तगत प्रकरण में उक्त विनिर्णय पूर्णतया लागू होते है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण को बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करने समय कोई सूचना या नोटिस नहीं दिया गया, जिसके कारण अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त वकील अपीलांट ने यह जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी सुन्दरिया दिनांक 26.06.2013 को पांच वर्ष पूर्व ही फौत हो चुका था तथा प्रतिवादी विघा 14 वर्ष पूर्व एवं धापु की 2 माह पूर्व उक्त मृत्यु हो जाने के बावजूद इनके वारिसान को रेकर्ड पर लिये बिना मृतक व्यक्तियो के पक्ष में जैर अपील निर्णय

व डिक्री पारित की गई है। इस संबध में माननीय राजस्व मंडल द्वारा अपने विनिर्णय 2010 (1) आर.आर.टी 167 मानजी बनाम नेवी व अन्य में यह प्रतिपादित किया गया है कि **सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–आदेश 22 नियम 10–ए, आदेश 22 नियम 4,5 व प्रतिवादी की मृत्यु से वाद उपशमित हुआ–विभाजन हेतु वाद–प्रतिवादी की मृत्यु की जानकारी 17.03.1994 को दी तथा आवेदन 24.03.1994 को पेश किया–पक्षकार की मृत्यु की सूचना वकील का कर्तव्य है–मियाद जानकारी की दिनांक से प्रारम्भ होगी–24.03.1994 को पेश आवेदन मियाद मे था–विभाजन हेतु वाद पक्षकार की मृत्यु पर उपशमित नहीं होता–तकनीकी आधारो पर आवेदन खारिज नहीं किया जा सकता–निर्णीत, आवेदन खारिज करना उचित नहीं था–आदेश अपास्त किया व आवेदन स्वीकार किया।** हस्तगत प्रकरण में सुन्दरिया दिनांक 26.06.2013 को पांच वर्ष पूर्व ही फौत हो चुका था तथा प्रतिवादी विघा 14 वर्ष पूर्व एवं धापु की 2 माह पूर्व मृत्यु हो जाने के बावजूद उक्त मृतक के वारिसानो को कायम मुकाम पर रेकर्ड पर लिये बिना मृतक के पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री बिना तनकीयात कायम किये पारित की गई है। इस संबध में आर.आर.टी पेज नंबर 1006 गुरमीतसिंह व अन्य बनाम मलकीयात कोर व अन्य में प्रतिपादित किया कि "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–आदेश 41, नियम 31– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 धारा 88 व 53 –विभाजन एवं घोषणा हेतु वाद–राजस्व अपील प्राधिकारी ने 5 बीघा भूमि में 'एच' के पुत्रो का बराबर हिस्सा घोषित किया–द्वितीय अपील–विवाद बिन्दु विरचित नहीं किये–प्रत्येक तनकी पर निर्णय नहीं दिया–निर्णीत, पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है व अपास्त किया तथा पुनः निर्णय हेतु मामला प्रतिप्रेषित किया।" इसी प्रकार 2018 आर.आर.टी पेज नंबर 864 परमेश्वरी देवी बनाम मानाराम व अन्य में प्रतिपादित किया कि "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 88 व 188 –खातेदारी अधिकारो की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद–वाद डिक्री किया–राजस्व अपील प्राधिकारी ने निर्णय अपास्त किया तथा प्रकरण प्रतिप्रेषित किया और दोनो पक्षकारो को सुनवाई का अवसर देने के बाद निर्णीत करने का निर्देश दिया–रेस्पोडेन्टगण को सुने बिना कैम्प कोर्ट में एकपक्षीय वाद डिक्री किया– 14.03.2017 का तामील हेतु नियत था और 18.05.2017 को निर्णीत किया– प्रकरण को लोक अदालत में रखने को रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस नहीं दिया–निर्णीत आदेश में अवैधता नहीं है।' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 188 के तहत खातेदारी घोषित कराने एवं स्थाई व्यादेश जारी करने के प्रावधान है। इन नियमों के तहत जो कार्यवाही की जानी है, वह रेवेन्यू कोर्टस मेन्यूअल एवं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना की जानी आज्ञापक है। इसके अनुसार वाद दायर होने के पश्चात प्रतिवादी को जरिये सम्मन तामील किया जाना, विधिवत तामील के पश्चात पक्षकारों की उपस्थिति/अनुपस्थिति के सम्बन्ध में विधिवत निर्णय लिया जाना। जवाबदावा/प्रतिदावा प्रस्तुत करना, तनकीयात कायम करते हुए उन पर संग्रहित साक्ष्यों पर तनकीयात विनिश्चय करने के पश्चात ही विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना आज्ञापक है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकीयात कायम करते हुए उन पर संग्रहित साक्ष्यों पर तनकीयात विनिश्चय किये बिना पक्षकारो का सुनवाई का अवसर दिये बिना माननीय राजस्व मंडल के नियम 18 से 21 की

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

पालना किये बिना जैर अपील निर्णय व डिक्री की गई है, जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 15/2001 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2013 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 30-03-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
30-03-2021